## SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR CODE. 1898

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक 105/2017

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

#### name, parentage, caste and address of accused

1. विजय पुत्र बंशीधर राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी भवंतपुर थाना सकीट जिला एटा उ०प्र०

#### The offence complained of, and date of its alleqed commission

- 1. यह कि आपने दिनांक 20/06/17 को थाने के सामने भिण्ड ग्वालियर हाइवे रोड पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.07 एचवी 1874 को नशे की हालत में चलाया?
- 2. यह कि आपके पास घटना दिनांक समय व स्थान पर ट्रक क्रमांक एमपी 07 एचवी 1874 को चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था?

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 185 एवं <u>3 / 181</u> मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हो।

The plea of the accused and bis examination [if any]--<u>आरोपी का अभिवाक्</u>

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

# / / निर्णय / /

### (आज दिनांक 21/06/17 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 185 एवं <u>3 / 181</u> मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धारा 185 एवं 3/181 मोटरयान अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 185 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1500/—रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दस दिवस का साधारण कारावास एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अंतर्गत 500/— रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 5 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
- 3. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक कमांक एम.पी.07 एचवी 1874 उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस किया जाये।

स्थान-गोहद

दिनांक- 21/06/17

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद